

— 04 —

उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी का न्यायालय, रामगढ़

आदेश पत्रक

सरफेसी वाद संख्या - 74/2023

मुख्य प्रबंधक, बैंक ऑफ बड़ौदा, रामगढ़ ब्रॉच रामगढ़ बनाम् श्री शिव कुमार
कुशवाहा वगै०

आदेश की क्रम
संख्या
और तारीख

आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर

आदेश पर की गई
कार्रवाई के बारे में
तिप्पणी तारीख

19/01/24

यह वाद आवेदक प्राधिकृत पदाधिकारी मुख्य प्रबंधक, बैंक ऑफ बड़ौदा, रामगढ़ ब्रॉच रामगढ़ बनाम् 1. श्री शिव कुमार कुशवाहा, पिता-रामलाल महतो, नियर लक्ष्मी नारायण मंदिर, ग्राम-लादी (चिकोर), घाघरा, देवरिया बरगौव, पतरातू, जिला-रामगढ़, 2. श्रीमती कलावती देवी, पति-श्री रामलाल महतो, नियर लक्ष्मी नारायण मंदिर, ग्राम-लादी (चिकोर), भदानीनगर, पतरातू, जिला-रामगढ़, द्वारा अन्दर U/S - 14 of The Securitization and Reconsturction of Financial Assests and Enforcement of Security Interest (SARFAESI) Act, 2002 के तहत दायर आवेदन पर प्रारंभ किया गया। वाद को अंगीकृत करने के उपरांत द्वितीय पक्ष को सूचना निर्गत किया गया एवं संबंधित अंचल अधिकारी से जाँच प्रतिवेदन की माँग की।

आवेदक के द्वारा Withdrawal Petition दायर किया गया गया है जिसमें कहा गया है कि, "with reference to the above case no.-74/2023 regarding the Home loan facility of Mr Shiv Kumar Kushwaha (A/c no 94980600000046), we would like to bring to your notice that as per the agreed terms the commitment amount was Rs 21 lakhs and it was fully paid by the Borrower as on dated 12th Dec 2023. Therefore we would like to withdrawal the case no 74/2023."

अतः आवेदक के द्वारा दायर Withdrawal Petition के आधार पर इस वाद की कार्यवाही बिना किसी प्रभावकारी आदेश के समाप्त की जाती है।

संचित करें।

लेखापित एवं संशोधित।

Chanday
19/01/24
उपायुक्त,
रामगढ़।

Chanday
19/01/24
उपायुक्त,
रामगढ़।